

१६

परिशिष्ट-6

((प्रपत्र-'ब') पृष्ठ 4/4)

भाग—द

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

विकास प्राधिकरण की अन्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र :

डा० यू०एस० सिन्हा एवं डा० रमा सिंह द्वारा प्लाट नं०-१, २ एवं ११, १२, बंगला नं०-२५ एडमास्टन रोड, फी होल्ड साईट नं०-M सिविल स्टेशन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद (क्षेत्रफल ६६८.८८ वर्गमीटर) पर निर्मित व्यवसायिक भवन पर दिये गये उपरोक्त प्रमाण—पत्र का परीक्षण प्राधिकरण के अवर अभियन्ता श्री ए०के० पाठक, अधिशासी अभियन्ता श्री आर०डी० राय तथा मुख्य नगर नियोजक श्री पी०के० सौलंकी द्वारा कर लिया गया है। स्थल पर निर्माण एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अद्यतन शमन मानवित्र परमिट संख्या-१०२/शमन/जोन-१/व्यव०/२०१४-१५ दिनांक ११.०३.२०१५ के अनुरूप सही पाया गया है। सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, अल्लापुर, इलाहाबाद, अधिशासी अभियन्ता—भूगर्भ जल विभाग खण्ड—यांत्रिक (सिचाई विभाग) इलाहाबाद, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, इलाहाबाद तथा आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को संज्ञान में लेते हुए उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक २७.०३.२०१५ के क्रम में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा-१५क(२) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण—पत्र जारी किया जाता है। स्वीकृत मानवित्र में आरोपित किसी भी शर्त का अनुपालन न करने अथवा उल्लंघन करने की दशा में दी गयी अनुज्ञा स्वतः समाप्त मानी जायेगी। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की अनापत्ति पत्र सं०-२०१५/७८९३/ald/Allahabad/८७/CFO दिनांक २०.०३.२०१५ में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

अभिलेख जो संज्ञान में लिये गये :-

1. अधिओअभिओ, भू०ज०वि०ख०-य०० प०स०-९१९ / भू०ज०वि०ख०-य०० दिनांक 23.03.2015
2. C.F.O, इलाहाबाद की अनापत्ति पदनाम : जोनल अधिकारी/ प०स०-२०१५/७८९३/ald/Allahabad/८७/CFO प्र०अ०(त०स०-२) दिनांक 20.03.2015
3. सहायक निदेशक वि.सु.उ०प्र० शासन, कार्यालय की मुहर प्रभारी अधिकारी प०स०-१८२० (।) / स०नि०वि०सु०/ई०री०/२०१४-१५ तकनीकी समिति दिनांक 26.03.2015 दिनांक : ३० मार्च, २०१५
4. आर्किटेक्ट/ स्ट्रक्चरल इंजी० का प्रमाण—पत्र।

हस्ताक्षर  
२०.०३.२०१५

पत्रांक :- ०९/प्र०अ०(त०स०-२) / C.C/2014-15  
दिनांक : ३० / ०३ / २०१५

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण १

पत्रांक : 102 / जोन-1 / शमन / व्यव0 / 2014-15 दिनांक 11/03/2015

### विनियमितीकरण—पत्र (Revise)

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक/आवासीय निर्माण विनियमित किया जा रहा है, इससे किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिलियत या स्वामित्व के अधिकारों के लिए कोई प्रभाव न रखेगी।

डा० यू०एस० सिन्हा पुत्र स्व० बी०एम० सिंह, डा० रमा सिंह पत्नी डा० यू०एस० सिन्हा द्वारा बंगला नं०-25 एडमास्टर रोड, नजूल फी होल्ड प्लाट नं०-M सिविल स्टेशन, भूखण्ड संख्या-1, 2, 11, 12 इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल विनियमितीकरण मानवित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 27.02.2015 के द्वारा नियमित प्रतिवन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 मे उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 मे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण—पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- यह स्वीकृति अनंतिम (Provisional) स्वीकृति के रूप मे होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्त पूर्ण करने के पश्चात, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण—पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वार्तविक उपयोग मे लाया जा सकेगा।
- स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा, जिसमें बेसमेन्ट में पार्किंग, भूतल पर पार्किंग सहित व्यवसायिक हॉल, प्रथम तल व्यवसायिक, द्वितीय तल पर आवासीय तथा तृतीय तल पर सहायक संरचनायें (A.C Room & Machine Room) का उपयोग ही नियमानुसार अनुमन्य होगा।
- स्थल पर रेनवाटर हार्डिस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू—गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू—स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू—स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निर्स्तारित किया जा सकता है।
- यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानवित्र निरस्त करने योग्य होगा।
- मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवश्य जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रॉल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
- आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
- यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

11/03/2015  
(पुक्कर श्रीवास्तव)  
OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0-2)

२०१५/१२ तिवारी  
(2-3-015)  
क्र. ९९३६७३३५८६

